18 अगस्त, 2010 को केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान किए जाने के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री मो. हामिद अंसारी का अभिभाषण

यह उत्कृष्टता का गुणगान करने का अवसर है और मैं लोक सभा की माननीय अध्यक्ष का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया। मेरे विचार से यह पुरस्कार कुछ विलंब से अर्थात् 1995 में आरंभ किया गया था और मैं भारतीय संसदीय समूह को इस पुरस्कार को कायम रखने के लिए बधाई देता हूं।

मैं इस अवसर पर क्रमशः वर्ष 2007, 2008 और 2009 के वर्षों के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित श्री प्रिय रंजन दासमुंशी, श्री मोहन सिंह और डा. मुरली मनोहर जोशी को बधाई देता हूं।

आज उन्हें दी गई मान्यता से, वे उन कुछ चुनिंदा व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं जिन्हें इस प्रकार से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक मामले में, यह सम्मान हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में सतत और अत्यंत प्रभावशाली योगदान हेतु दिया गया है।

यहां उपस्थित लोग भली-भांति जानते हैं कि विचार-विमर्श और सम्मति बनाना लोकतंत्र की पूर्व-अपेक्षाएं हैं। निर्वाचित होने के लिए, उम्मीदवार को मतदाता को अपने विचारों का कायल करना पड़ता है; निर्वाचित होने के बाद और विधान कक्ष में, प्रतिनिधि को अन्य प्रतिनिधियों को अपना दृष्टिकोण बताना होता हे। दोनों मामलों में, सम्मति, शुद्ध तर्क-वितर्क और ठोस तर्क से बनती है अथवा वाक्पटुता पर आधारित होती है जो श्रोताओं की भावनाओं और विचारों के

अनूकुल संभावित ज्ञान को और सशक्त बनाता है। प्राय: इसमें दोनों प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है।

कुशल सांसद दोनों का प्रयोग करते हैं। वह कभी-कभी एक पक्का तार्किक होता है; कभी-कभी "अशक्त पंखों वाले पक्षी" के समान होता है, जो शायद अपने भीतर की किसी प्रबल शक्ति से प्रेरणा लेता है। ऐसे अवसर भी आते हैं जब वाक्पटु व्यक्ति अपने शब्दाडम्बर के जोश में मदहोश हो जाता है। प्रत्येक मामले में उसका उद्देश्य चर्चा में छा जाने का होता है।

भारत की संसद इन कौशलों की बड़ी मात्रा में गवाह रही है और वह उनसे लाभान्वित हुई है। लम्बे समय से संसद की कार्यवाही में दिलचस्पी रखने वालों की भी यह राय है कि कुशल सांसद अब दुर्लभ हो चले हैं। यह चिंता का विषय होना चाहिए।

यह कहा जाता है कि हम स्वभाव से तर्कशील हैं। यदि ऐसा है, तो हमारे बीच संसदीय विचार-विमर्श को और भी फलना-फूलना चाहिए। हालांकि, प्राय: इसके विपरीत एक प्रवृत्ति उभरती हुई देखी जाती है। इसके अंतर्गत भाषण देने के कौशल की जगह ऊँचा बोलने की ताकत ले लेती है और चर्चा शोर-शराबे तथा व्यवधान में गुम हो जाती है। यह स्थिति क्षणिक उत्तेजना तो पैदा करती है, परन्तु यह अपनी राय का कायल करने का विकल्प नहीं है। साथ ही यह संसद की गरिमा को कम करती है और लोक आलोचना का पात्र बनती है।

हमारे स्वतंत्र समाज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नागरिकों को लोक-हित और जन सरोकारों के मुद्दों पर विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराती है। साथ ही यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशिष्ट भूमिकाएं निर्धारित करती है जिनके लिए माध्यम और मंच का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। विधान, विचार-विमर्श और जवाबदेही की मांग तीन ऐसे प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं, जिन पर विधायी सभा के भीतर सतत आधार पर कार्य होना चाहिए। आज के

तीन पुरस्कार विजेता और उनसे पहले के कई विजेताओं ने इनमें से प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कौशलपूर्ण सहभागिता से ख्याति प्राप्त की। उन्होंने अनुकरणीय मानक स्थापित किये।

मैं यह आशा भी करता हूँ कि उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार इस सभा में उपस्थित अन्य सदस्यों को अपने संसदीय संवाद में सुधार करने और इस प्रकार हमारे लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इमारत को मजबूती प्रदान करने का भरसक प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा।

जय हिन्द।

****